To Re-construct the Bus Stand

22 **SH. MEWA SINGH (Ladwa):** Will the Transport Minister be pleased to state the action taken by the Government on the announcement made by the Hon'ble Chief Minister to start the reconstruction work of Pipli Bus-Stand togetherwith the reasons for which the reconstruction work of the abovesaid bus stand has not been started so far alongwith the details thereof?

MOOLCHAND SHARMA, TRANSPORT MINISTER, HARYANA.

Sir, Hon'ble CM has made an announcement bearing code no. 12585 dated 29-05-2016 under which a new bus stand is to be constructed at Pipli. The bus stand was proposed to be constructed under PPP Mode. The consultant firm (DIMTS) was selected to provide the consultancy services. The consultancy firm has submitted the detailed project report but the work could not be started due to outcome of Covid - 19 Pandemic. The consultancy firm informed the office that due to Covid-19, no potential concessionaire is forthcoming and suggested to change the proposal for construction of bus stand under EPC (Self-financing) Mode. The DPR was accordingly revised and sent to the Hon'ble CM on 14-09-2021 for changing the mode of construction of Bus Stand. The Hon'ble CM has desired that the approval of CoSI shall be obtained before changing the mode of construction. The matter was placed before CoSI for recommendation. After discussion with consultancy firm, the ACS (Finance) has desired that revised DPR on current pricing be submitted for decision.

It was also suggested by the consultancy firm that the period of Covid-19 is over and the works are maturing smoothly now. So, the department should go for PPP Mode now as per earlier approval of Hon'ble CM. Accordingly, the office has issued directions to the consultant firm to put up the revised DPR on current pricing for perusal and approval. Now, the draft detailed project report is received from consultant which is being submitted to Committee of Secretaries Infrastructure for examination and approval. Further action will be taken after obtaining the approval from Committee of Secretaries and work will be allocated to the selected concessionaire through open tender process.

बस अड्डे का पुनर्निर्माण करना

22 श्री मेवा सिंह (लाडवा): क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिपली बस अड्डे का पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई तथा अभी तक पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए जाने के कारण क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री, हरियाणा।

श्रीमान् जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोड संख्या 12585 दिनांक 29-05-2016 को घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत पिपली में नये बस अड्डे का निर्माण किया जाना है। इस बस अड्डे का निर्माण निजी सार्वजनिक साझेदारी आधार पर किया जाना प्रस्तावित था। विभाग द्वारा सलाहाकार (डी0आई0एम0टी0एस) को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। सलाहाकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। सलाहाकार द्वारा अवगत करवाया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण कोई योग्य निजी भागीदार नहीं आ रहा है और बस अड्डे का निर्माण ई0पी0सी0 (स्व-निधि) आधार पर किये जाने का सुझाव दिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करके इसे दिनांक 14-09-2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बस अड्डे के निर्माण का तरीका बदलने बारे प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चाहा गया कि बस अड्डे के निर्माण का तरीका बदलने से पहले सचिवों की समिति से अनुमोदन करवा लिया जाए। मामले को सिफारिश के लिए सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया। सलाहाकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त विभाग) द्वारा चाहा गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को वर्तमान मूल्य निर्धारण पर संशोधित करके निर्णय के लिए प्रस्तुत करे।

सलाहाकार द्वारा अब यह भी सुझाव दिया गया कि कोविड-19 महामारी की अवधि समाप्त हो चुकी है और कार्य अब सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसलिए, माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन के अनुसार विभाग को बस अड्डा निर्माण के लिए अब पीपीपी मोड के लिए जाना चाहिए। तदानुसार, कार्यालय द्वारा सलाहाकार को वर्तमान मूल्य निर्धारण पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संशोधित करके अवलोकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये है। अब, सलाहाकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप प्राप्त हो चुका है जिस पर विचार करने और अनुमोदन के लिए सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सचिवों की समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित भागीदार को कार्य आवंटित किया जाएगा।